ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1853/2004/बून्दी दुर्गालाल बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सतीश चंद्र गोदारा

उपस्थितः–
श्री राजैश गौतम, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से।
श्री एस0एस0सिद्धू, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से।
प्रत्यर्थी सं0 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

––

निर्णय
दिनांक 20–01–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं0 69/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 24–02–2004 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी सं0 1 कन्हैयालाल ने एक दावा अधिनियम की धारा 88,89 व 188 के अन्तर्गत विवादित आराजी बाबत् उपखण्ड अधिकारी, नैनवा के न्यायालय में पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जवाब पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात विरचित की गई। बाद सुनवाई विचारण

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1853/2004/बून्दी दुर्गालाल बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–10–2002 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–02–2004 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–10–2002 को निरस्त कर प्रकरण विधिवत् निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वर्तमान द्वितीय अपील में प्रत्यर्थी/वादी द्वारा वाद खसरा नं0 831 में स्थित चाह से सिंचाई करने में प्रतिवादी द्वारा दखल नहीं दिए जाने हेतु लाया गया था। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निष्कर्षो में यह साबित पाया है कि ख0 नं0 830 में स्थित चाह अपीलार्थी/प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि स्थित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र लोन की वसूली के नोटिस व कुंए पर ईजंन पर लगे होने के फोटो एवं फसल की सिंचाई के कुछ दस्तावेज पेश किए जाने के आधार पर प्रकरण को तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार को कमीश्नर नियुक्त कर सिंचाई के साधन बाबत् रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपील न्यायालय का उक्त प्रतिप्रेषण आदेश विधिसम्मत नहीं	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/1853/2004/बून्दी दुर्गालाल बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कहा जा सकता। विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार वादी को वाद सिद्ध करने हेतु संदेह से परे साक्ष्य स्वंय पेश करनी होती है। मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। विचारण न्यायालय ने खसरा नं0 830 में स्थित चाह पर वादी द्वारा अपना अधिकार सिद्ध करने में असफल होने के आधार पर वाद खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की अभिलेखीय त्रुटि नहीं है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-02-2004 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, नैनवा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-10-2002 बहाल किया जाता है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य